उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-43/2015/206/22-4-15-48(40)/12

लखनऊ : दिनांक-13फरवरी, 2015

शुद्धि- पत्र

केन्द्रीय कारागार, बरेली, नैनी एवं जिला कारागार, फैजाबाद, पीलीभीत, हरदोई तथा सीतापुर में दिन शौचालयों के निर्माण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-35/2015/161/22-4-15-48(40)/12, दिनांक- 06.02.2015 में उल्लिखित पुनरीक्षित स्वीकृति के शासनादेश संख्या- 22/2015/1618/22-4-14-48(40)/12, दिनांक 29.01.2015 के स्थान पर शासनादेश संख्या-14/2015/1432/22-4-14-48(40)/12, दिनांक 20.01.2015 पढ़ा जाय।

आर0के0द्विवेदी
उप सचिव

संख्या-43/2015/206(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।
(2) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित जिलाधिकारी।
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in